

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW
DELHI**

OA NO:102/2023

IN THE MATTER OF:

NEERAJ CHHACHHAR

...APPLICANTS

VERSUS

BALIRAM ASHRAM& ORS

...RESPONENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	Status report on behalf of Respondent no 3 in compliance of the order dated: 18.08.2025.	1-8

Date: 11.11.2025



Adv Anjali Rajput

Counsel for State of Uttarakhand



पत्रांक - 3537 / सिं0ख0ह0 /

दिनांक- 10/11/2025

सेवा में,

रजिस्टार जनरल
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय - माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0-102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 18.08.2025 के अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल बहादुराबाद, हरिद्वार को इस कार्यालय के पत्र सं0-2778/ दिनांक 01.09.2025 द्वारा सर्वे किये जाने वाले क्षेत्र (फैलाव सहित) का गूल अर्थ पर अंकन कर प्रेषित किया गया था (छाया प्रति संलग्नक-01)।

अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल बहादुराबाद के पत्र सं0-1238/ दिनांक 27.09.2025 के द्वारा सर्वे आफ इण्डिया से 0.1 मी0 DEM प्राप्त कर निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुडकी को प्रेषित कर दिया गया है (छाया प्रति संलग्नक-02)। निदेशक राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुडकी द्वारा अपने पत्र सं0-NIH/SWDID/2025-26 दिनांक 16.10.2025 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल बहादुराबाद को धन की मांग हेतु पत्र प्रेषित किया गया (छाया प्रति संलग्नक-03), धन की मांग हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड बहादुराबाद द्वारा अपने पत्र सं0-958 दिनांक 03.11.2025 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (बजट अनुभाग) सिंचाई विभाग उत्तराखंड, देहरादून से बाढ नियन्त्रण परिक्षेत्र के कार्य हेतु धन आवंटन की मांग की गयी है (छाया प्रति संलग्नक-04)। धनावंटन होने के उपरान्त कार्य सम्पादित करा दिया जायेगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

पत्रांक / सिं0ख0ह0 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) सिंचाई विभाग उत्तराखंड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, सिंचाई विभाग हरिद्वार।
3. जिलाधिकारी हरिद्वार।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल हरिद्वार।
5. सुश्री अजली राजपूत अधिवक्ता ई-41 बेसमेन्ट लाजपतनगर-III नई दिल्ली-110024

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड मायापुर, हरिद्वार-249401
(ई-मेल-ldharidwar@gmail.com)

पत्रांक - 2978

/सि०ख०ह०/कोर्ट केस

दिनांक-1/9/25

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
जल विज्ञान मण्डल
बहादुराबाद हरिद्वार,
उत्तराखण्ड।

विषय - मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा मूल आवेदन संख्या-102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा दिनांक 16.04.2025 को दिये गये निर्देशों के क्रम में गंगा नदी का हरिद्वार से लक्सर क्षेत्र में पुनः बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण कराने के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ आपका पत्रांक-1020/ज०वि०म०/FPZ/दिनांक 12.08.2025

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र, जो कि इस कार्यालय को अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल हरिद्वार के पत्र सं०-2162/सि०का०म०ह०/एन०जी०टी० दिनांक 19.08.2025 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में सर्वे किये जाने वाले क्षेत्र (फैलाव सहित) का गूगल अर्थ पर अंकन कर आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- सर्वे हेतु गूगल अर्थ
की रंगीन छाया प्रति।


भवदीय,


अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

पत्रांक - 2978 / सि०ख०ह० / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, सिंचाई विभाग, हरिद्वार।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल हरिद्वार को उनके पत्र सं०-2162/सि०का०म०ह०/एन०जी०टी० दिनांक 19.08.2025 के क्रम में।


अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

725

सिवॉक-0302

सिंचाई कार्य मण्डल-हरिद्वार
डायरी संख्या, 8098
दिनांक, 15.10.2025
पत्रावली

कार्यालय
अधीक्षण अभियंता

जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद

पत्रांक - 1238 /ज.वि.म./FPZ

दिनांक - 27.09.2025

विषय - बाढ़ संख्या OA No. 102/2023 नीरज छाछर वनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में मा० एनजीटी द्वारा दिनांक 16.04.2025 को दिए गए निर्देशों के क्रम में गंगा नदी का हरिद्वार से लक्सर क्षेत्र में पुनः बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण कराने के सम्बन्ध में।

निदेशक, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुडकी।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा० एनजीटी ने उपरोक्त पारित आदेश के द्वारा हरिद्वार से लक्सर क्षेत्र में 1 मी. DEM का प्रयोग करते हुए पुनः बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण करने के लिये निर्देशित किया है। जिसके क्रम में सर्वे ऑफ इंडिया से 1 मी. DEM प्राप्त कर आपको ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त के अध्ययन कार्य एवं मॉडलिंग का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट एवं मानचित्र उपलब्ध कराने की कृपा करें जिससे कि मा० एन०जी०टी० के आदेशों की अनुपालना की जा सके। उक्त हेतु अगर धन की आवश्यकता हो तो Invoice भेजने की कृपा करें जिससे धन की उपलब्धता हेतु शासन से मांग की जा सके। इस कार्य में पूर्व की भांति 5, 25, 50 एवं 100 वर्ष की बाढ़ आवृत्ति के फैलाव का अध्ययन कार्य सम्मिलित है।

(पी. एम. राय)

अधीक्षण अभियंता

जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद

पत्रांक - 1238 /ज.वि.म./FPZ तददिनांक - 27.09.2025


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है -


1. मुख्य अभियंता स्तर- II (परिकल्प) एवं निदेशक सिंचाई अनुसन्धान संस्थान, रुडकी।
2. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मंडल, हरिद्वार।
3. अधिशासी अभियंता, जल विज्ञान खंड, बहादुराबाद।

सिंचाई विभाग



14.10.25


का. वि. म. / सिंचाई विभाग



(पी. एम. राय)

अधीक्षण अभियंता

जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद

NII/SWHI/2025-26/
Dated 16 October, 2025

S. D. N. Rai,
Senior Sounding Engineer
Hydraulics Circle,
Banshabad, Haridwar

Sub: Demarcation of the Flood plain zone for the River Ganga: Haridwar to Laksar stretch.

Ref: Your Letter No. 1238/JVM/FPZ dated 27 September 2025

S.

With reference to your above cited mail, proposal for conducting study "Flood plain zone delineation River Ganga: Haridwar to Laksar stretch (approximate length 50 kms.) is attached herewith for your kind consideration.

with regards

Thakural
(Dr. L. N. Thakural)
Sc-E, SWH Division

Cc to
Irrigation Work Circle,
Haridwar

Proposal by National Institute of Hydrology, Roorkee

Title of Study: Demarcation of the Flood plain zone for the River Ganga: Haridwar to Laksar stretch

The Superintending Engineer, Jal Vigyan Mandal, Bhadrabad, Govt. of Uttarakhand (Dated 27.9.2025) has approached Director, National Institute of Hydrology Roorkee to regarding proposal for Demarcation of the Flood plain zone for the River Ganga: Haridwar to Laksar stretch (50 km stretch) as per direction given by Hon'ble NGT. Director, NIH Roorkee has assigned Surface Water Hydrology Division to take up this study.

The FPZ will be delineated for 25, 50, and 100 year return period flood using 1 m DEM

Study Area

The study area for present study falls in the Ganga basin i.e. from Haridwar to Laksar stretch having a length of 50 kms of river Ganga falling within Uttarakhand State. The index map of the study area is shown in Figure 1. The Haridwar stretch starts from the Bhimgoda Barrage. Bhimgoda barrage, also referred to as the Bhimgoda Weir or Bhimgoda Head Works, is a barrage on the Ganga River at Haridwar. The primary purpose for the barrage is irrigation but it also serves to provide water for hydroelectric power production and control floods.

The flood plain zone delineation for this 50 km stretch will be carried out from this study. The long term historical annual maximum discharge & water level which at Hourly/Daily water level and discharge data for available sites during monsoon seasons are essential for model calibration.




Figure 1: Index map of the study area

The study will be carried out with similar methodology as used by NIH and Central Water Commission (CWC) in the previous studies for river Ganga and Yamuna.

Data Requirement:

SN	Data	Source	Responsibility
1	Historical Observed Discharge and Water level data. Design flood at dam sites, EAC table spillway, dam details etc.	Irrigation Department, Govt. Uttarakhand/CWC	Sponsoring agency
2	High resolution DEM	SOI	Sponsoring agency
3	Structures (bridge, barrage, embankment, etc.)	Govt. UK	Sponsoring agency
4	Previous Flood inundation extent from satellite data	NRSC, RRSC-UK	Sponsoring agency

Duration of Study:

The study will be completed in three months from the date of supply of all data and advance payment.

Note: Timely availability of data is very important for maintaining the proposed activity schedule. Scientists of NIH and officers of sponsoring agency will interact regularly for monitoring progress of the study.

Cost and Payment Schedule:

The Total cost of the study will be Rs 18,88,000 plus GST charges (18% or as applicable)

- 60 % payment is to be made along with the award of work.
- 40% payment is to be made on submission of the final report of the study.

Note:

All the payments are to be made by A/C payee bank draft or by e-transfer in the name of "NATIONAL INSTITUTE OF HYDROLOGY" payable at Roorkee. For online transfer, the account details are as below:

A/C Name: NIH Consultancy Project; Bank A/C SBI- IIT, ROORKEE;

A/C No. 31125916862; IFSC CODE: SBIN0001069; MICR CODE: 247002094; SWIFT NO. SBININBB559.

GST No. of NIH: 05AAATN1385M1ZD

The National Institute of Hydrology, Roorkee (PAN: AAATN1385M) is exempted from income tax vide Govt. of India Notification No. 38/2017 (F. No. 203/24/2016 ITA-II) dated May 15, 2017 (copy attached). Hence, Tax Deduction at Source (TDS) is not applicable on any payment to NIH.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
जल विज्ञान खण्ड
बहादुराबाद (हरिद्वार)

पत्रांक: 958/ज0वि0ख0/बजट की मॉग,

दिनांक 03/11/2025

विषय:- बजट धनराशि की मॉग की सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद के कार्यालय पत्रांक
1354/ज0वि0म/एफ0पी0जेड दिनांक 18.10.2025

प्रमुख अभियन्ता (बजट अनुभाग) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि Dr. L.N. Thakural Sc-E, SWH Division, के पत्रांक
NIH/SWHD/2025-26/ Dated 16.10.2025 के क्रम में अवगत कराना है कि हरिद्वार चण्डी पुल से
लक्सर तक लगभग 50किमी० के गंगा नदी के बाढ़ नियंत्रण परिक्षेत्रण के डिर्माकेशन किया जाना
प्रस्तावित है जिसे कराये जाने हेतु निम्नानुसार बजट की आवश्यकता है जो कि निम्नवत हैं -

SN.	Items	No.	Cost in Rs.
1	Work- Demarcation of Flood Plain Zone for the River Ganga Haridwar to Laksar Stretch	01	1888000.00
2	GST@ 18% on (1)		339840.00
3	Total(1+2)		22,27,840.00
4	Contingency Charges@ 3% on (1)		56640.00
5	Grand Total(3+4)		22,84,480.00

(Rs. Twenty Two Lakh Eighty Four Thousand Four Hundred Eighty only)

अतः इस खण्ड को उक्त धनराशि आवंटित करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता

जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद

पत्रांक: /ज0वि0ख0/ बजट की मॉग, /तददिनांक

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

जल विज्ञान खण्ड बहादुराबाद